अनुसूची 21–फारम सं0–113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या ...Jamaney ni days... 20 ...आवेदन सं0 ... 5120 ... 20/2...

चूँकि श्री ...Om prakash Gupta...

.... ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में सा0 ...2003... 20 ... से सा0 ...till dated... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला .... चला है अतः ...

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mouza Dighi P.S. Dighi P.S. No 1 Khata No 1234 Plot No 28 Area 4 Katha 10 Dhur.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवंरण दर्ज करें ।

2. बंधक–पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): SC

तलासी का संत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: pafrs.

तारीख: 26/1/12

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपतियों को निबंधित दस्तावेंजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनीं होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनकी पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासीं प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक,

ज्ञाप संख्या 5171 दिनांक 3/6/12

आवेदक श्री Omprakash Gupta

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा, manager S.B.I RACPC Branch pafrs.

का उनके पत्र संख्या .... दिनांक 30/5/12 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी, 2/6/12 pafrs.